Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/एल.आर./3627/2003/बीकानेर

पेमाराम पुत्र श्री खींयाराम जाति जाट निवासी रणजीतपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

..... **अपीलार्थी**

बनाम

राजस्थान सरकार।

..... **रेस्पोडेन्ट**

एकल पीठ
श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य

उपस्थितः
श्री एन.के. गोयल : अधिवक्ता अपीलार्थी
श्री राजेन्द्र शर्मा : उप राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

——

निर्णय

दिनांकः 26/2/2018

अपीलार्थी द्वारा यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 76 के अंतर्गत अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर के निर्णय दिनांक 30/4/2003 (अपील संख्या 47/2002) से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि न्यायालय नायब तहसीलदार, उपनिवेशन तहसील कोलायत नम्बर 3 (जिला बीकानेर) द्वारा अपीलार्थी का

विवादित आराजी चक 14 पी.एस.एम के मु.नॅ. 34/57 के किला नम्बर 1, 2, 3, 8 ता 10, 12, 13, 20 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा पर चना, किला नम्बर 10 व 11 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा पर गेहूँ व मु.नॅ. 43/29 के किला नम्बर 6, 14, 15 रकबा 2 बीघा पर गेहूँ व किला नम्बर 16 में 10 बिस्वा पर चना कुल 11 बीघा 9 बिस्वा भूमि पर सम्वत 2058 में अतिक्रमण कर काश्त करने के कारण अपीलार्थी के विरूद्ध राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 22 के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए बेदखली, शास्ति तथा पश्चातवर्ती अतिक्रमण के दोष में तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश दिनांक 20/3/2002 को पारित किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी ने अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की, जो दिनांक 30/4/2003 को खारिज की गई। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का बहस में कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय/आदेश विधि विरूद्ध एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत हैं। क्योंकि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को जवाब एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। उनका यह भी कथन है कि विचारण न्यायालय की पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं था जिसके आधार पर अपीलार्थी द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया जाना सिद्ध हो। उनका कथन है कि विवादित भूमि अपीलार्थी को टी.सी. पर आवंटित भूमि है, और उसकी अपील विद्वान अपीलीय में विचाराधीन है। उन्होंने बहस में यह भी कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा आरोपित जुर्माना राशि जरिये चालान जमा करवाई जा चुकी है। उनका कथन है कि अपीलार्थी एक गरीब काश्तकार है अतः अपीलार्थी के प्रति नरम रूख अपनाते हुए प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों को अपास्त किया जावे।

विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता का बहस में कथन है कि अपीलार्थी स्वयं स्वीकार करता है कि विवादित भूमि अपीलार्थी की टी.सी. पर आवंटित भूमि है, जो खारिज हो चुकी है ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को राजकीय सिवाय चक भूमि पर काश्त करने का कोई अधिकार नहीं है। उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी द्वारा किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमण है क्योंकि उसे पूर्व में भी बेदखल किया गया था तथा इस आशय की साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। उनका कथन है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को बहाल रखा जावे।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि अपीलार्थी को टी.सी. पर आवंटित भूमि है, जो खारिज हो चुकी है तथा उसकी अपील अपीलीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को विवादित भूमि पर काश्त करने का कोई विधिक अधिकार नहीं होता है। अपीलार्थी का यह तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है कि विवादित भूमि के संबंध में अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील विचाराधीन है। क्योंकि वह पृथक कार्यवाही है। पटवारी हल्का की यह भी रिपोर्ट है कि अपीलार्थी को पूर्व में प्रश्नगत भूमि से बेदखल किया गया था लेकिन उसने पुनः प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमण किया है। विचारण न्यायालय द्वारा पूर्व के आदेश एवं पटवारी हल्का के बयान आदि लेने के बाद यह निर्णय पारित किया गया है।

इस प्रकरण में यह निर्विवाद स्थिति है कि अपीलार्थी द्वारा विवादित भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए बेदखली, शास्ति तथा पश्चातवर्ती अतिक्रमण के दोष में तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का निर्णय दिनांक 20/3/2002 को पारित किया गया है, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील को अपीलीय न्यायालय ने दिनांक 30/4/2003 को खारिज किया है। यह न्यायालय अपीलार्थी के प्रति नरम रूख अपनाते हुए प्रस्तुत अपील को निम्न शर्तों के अधीन आंशिक रूप से स्वीकार करता है :–

1. अपीलार्थी विवादित भूमि रकबा 11 बीघा 9 बिस्वा भूमि पर किये गये अतिक्रमण को स्वंय हटायेगा एवं नायब तहसीलदार, उपनिवेशन तहसील, कोलायत को कब्जा हटाने का भौतिक सत्यापन करवायेगा।

2. अपीलार्थी के विरूद्ध धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 के अंतर्गत आरोपित समस्त बकाया व चालू शास्ति का भुगतान किया जायेगा।

3. अपीलार्थी इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि अपीलार्थी ने अपने अतिक्रमण को रिक्त कर दिया है एवं भविष्य में कभी भी राजकीय/गैर मुमकिन भूमि पर अतिक्रमण नहीं करेगा।

इस प्रकार यदि उपर्युक्त शर्तें अपीलार्थी द्वारा तहसीलदार/नायब तहसीलदार, उपनिवेशन तहसील, कोलायत के संतोष के आधार पर इस निर्णय के 30 दिवस में पूर्ण कर दी जाती हैं, तो अपीलार्थी के विरूद्ध पारित किया गया तीन माह की सिविल कारावास की सजा का निर्णय अपास्त समझा जायेगा। यदि अपीलार्थी द्वारा इन शर्तों की पालना निर्धारित अवधि में नहीं की जाती हैं तो नायब तहसीलदार एवं अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय यथावत रहेंगे एवं निर्णय/आदेश को प्रभावी माना जाकर अपीलार्थी के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।

उपरोक्त प्रेक्षणों (Observations) के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य